फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

श्रीमती प्रेमदेवी बनाम दुर्गा शंकर

धारा 212 किस्म प्रा० पत्र

प्र०सं० 73/2017

30-3-17

बाद जॉच वाद/प्रार्थनापत्र/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज जिस्टर होकर विधिवत प्रक्रियानुसार विपक्षीगणों/अप्रार्थीगणों को जरिये लवाना तलबी हो पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 29-5-17 को पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

29/5/17 पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पीठासीन अधिकार श्री अनुज कार्य है। पत्रावली दिनांक 13/11/17 को पेश हो।

आदेश से रीडर

13/11/17 पत्रावली पेश उभयपक्ष उपस्थित/पीठासीन अधिकार श्री अनुज कार्य पर। पत्रावली दिनांक 20/11/17 को पेश हो।

आदेश से रीडर

20-11-17 पत्रावली पेश हुई। दरखास प्रार्थिया उपस्थित नहीं प्रार्थिया व प्रार्थिया के वकील को जिलवी ही मतलब विधिवत सावाऊ दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण प्रार्थिया का प्रार्थनापत्र खारिज व खारिज फैसली के बगैर लिया जाता है। पत्रावली फैसल शमार व खारिज रूम हाउ के काम के लाई जावे।